न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 06 / 2014

प्रार्थीः–

1. हेमसिंह पुत्र केरसिंह जाति रावत निवासी लवाचा (बलुपुरा)
2. चंदनसिंह पुत्र कुपसिंह जाति रावत निवासी लवाचा (बलुपुरा)
3. रघुवीरसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपूत
4. भंवरसिंह पुत्र कानसिंह जाति रावत तमाम मुख्यिान ग्राम लवाचा तहसील रायपुर

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. राम पुत्र भैरा जाति रावत निवासी लवाचा
2. नेनु बेवा उदयसिंह पुत्री भैरा जाति रावत निवासी धौलिया तहसील रायपुर
3. भंवरीदेवी पत्नी चौथाराम पुत्री भैरा जाति रावत निवासी लवाचा
4. कमली पुत्री भैरा पत्नी कालुसिंह जाति रावत निवासी लवाचा
5. टेमु पत्नी लक्ष्मणसिंह पुत्री भैरा जाति रावत निवासी कुणेचा
6. पेमी देवी पत्नी भैरूसिंह जाति रावत निवासी फतेहखेड़ा
7. तहसीलदार रायपुर
8. ग्राम पंचायत दीपावास तहसील रायपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 20 (परन्तुक) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति –

1. श्री मोहम्मद शरीफ़ काज़ी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री भागीरथ तेली, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 से 6

–: निर्णय :–

दिनांकः– 7/8/2018

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 20 (परन्तुक) के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड का तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी जैतारण ने जाहिर किया कि वांछित रेकर्ड कार्यालय में उपलब्ध नही है। इस पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अति० जिला कलक्टर, पाली

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्रामवासियान के मुख्यान की हैसियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। ग्राम लवाचा के खसरा नम्बर 622 रकबा 179 बीघा 2 बिस्वा गै0मु0 पहाड की भूमि स्थित है। इस भूमि को चरागाह के रूप में प्रथम सेटलमेन्ट के समय उपयोग में लिया जाता था। उक्त भूमि में से 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण के पिता भैरा को नियमन की गई है। जैर प्रार्थना पत्र वादस्थ भूमि की किस्म गै0मु0 पहाड थी, जो नाकाबिल काश्त थी तथा पहाड की भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता था, इसके बावजूद भी उक्त भूमि का नियमन किया गया। नियमन आदेश पारित किए जाने से पूर्व किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए जैर प्रार्थना पत्र आदेश पारित किया गया। भैरा कानूनन नियमन की पात्रता नहीं रखता था तथा न ही वह भूमिहीन था। नियमन के समय आवंटन सलाहकार समिति से परामर्श नही किया गया तथा न ही कोरम पूर्ण था। नियमन हेतु आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। गै0मु0 पहाड की भूमि का आवंटन किया गया है तथा उक्त भूमि आज भी मौके पर पहाड़ के रूप में अवस्थित है। इस भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं हो रहा है। मौके पर भू–माफिया क्रेशर लगा कर पत्थर काट रहे हैं। गांव के पशु इस भूमि पर चरते थे तथा चरागाह के रूप में उपयोग होता था। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा द्वारा दिनांक 15.08.2014 को प्रस्ताव संख्या 3 पारित कर यह तय किया गया कि उक्त भूमि पशु चराई के काम आती है व नियमन को निरस्त करवाया जाना चाहिए व इस हेतु सरपंच को अधिकृत भी किया गया, किन्तु सरपंच द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की तथा भैरा के वारिशान द्वारा कई व्यक्तियों को उक्त नियमन सुदा भूमि में अन्य व्यक्तियों के जरिये व पंकज कुमार मेवाड के जरिये पत्थर तुडवाने का काम शुरू कर दिया, जिससे गांव का वातावरण दूषित हो गया। खसरा नम्बर 622 में से भैरा का हिस्सा जमाबन्दी में खसरा नम्बर 622/1 दर्ज कर दिया गया है, किन्तु नक्शे में तरमीम नहीं की गई है। अप्रार्थीगा के पिता द्वारा नियमन आदेशानुसार शर्तो की पालना नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेकर्ड ही उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के पिता के नाम गै0मु0 पहाड की भूमि का नियमन किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं जैर प्रार्थना पत्र आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो सारहीन है। प्रार्थीगण का यह कथन है कि जैर प्रार्थना पत्र वादस्थ भूमि पहाडी के रूप में अवस्थित है, जो काबिल काश्त नहीं है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा वक्त आवंटन से लेकर आज दिनांक तक की खसरा गिरदावरियां प्रस्तुत की है, जिसमें वादस्थ भूमि पर काश्त अंकित है। उक्त भूमि किसी भी रूप में नाकाबिल काश्त नहीं है। अप्रार्थीगण के पिता भैरा का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा काश्त होने के कारण

अति० जिला कलक्टर, पाली

आवंटन नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा अप्रार्थीगण के पिता भैरा के नाम नियमन कार्यवाही की गई। गै0मु0 पहाड की भूमि किसी भी रूप में नियमन हेतु प्रतिबन्धित नहीं है। मौके पर कृषि कार्य हेतु उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र रंजिशवश यह कार्यवाही प्रस्तुत की है। अप्रार्थीगण वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदार है तथा रेकर्डेड खातेदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी विधि द्वारा खातेदारी अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 1977 पेज 673, आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 94 तथा आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 759 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण से सम्बन्धित रेकर्ड अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध नहीं होना पाया गया है। जैर प्रार्थना पत्र वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 622/1 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, रामसिंह पुत्र भेरा कौम रावत सा0 देह खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रकरण में विधिक स्थिति यह प्रकट होती है कि क्या गै0मु0 पहाड़ की भूमि का नियमितिकरण किया जा सकता है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत पहाड की भूमि आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार नहीं है। इसके अतिरिक्त राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के तहत भी गै0मु0 पहाड की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के तहत आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा के आधार पर अतिक्रमित भूमि के नियमितिकरण के प्रावधान है। इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1977 पेज 673 में माननीय राजस्व मण्डल की वृहदपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "(c) Allotment Rules, 1970 R. 4 - Allotment Rules, 1957, R. 4 Distiniction- G.M. Land, not available for allotment under Rules of 57 while position is different in Rules of 70 wherein no general exclusion of lands, recorded as G. M. in current settlement- Lands recorded as G.M., not covered by Sec. 16, R.T.Act or otherwise excluded by R- 4 of 70, held available for allotment." इसी प्रकार आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 759 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 – नियम 14 (4) – एकपक्षीय आदेश द्वारा आवंटन निरस्त किया गया – अपीलाण्ट की गैर खातेदारी में भूमि दर्ज की -- सम्वत 2053 की खसरा गिरदावरी में फसल दिखाई – पटवारी की रिपोर्ट दर्शाती है कि आवंटन कब्जे में है व भूमि पर काश्त कर रहा है। सिवायचक पठारी भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है – 20–21 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करना न्यायोचित नहीं है।" इन सिद्धान्तों से यह स्पष्ट होता है कि भूमि यदि काबिज काश्त है या काबिल काश्त की जा सकती है, तो वह आवंटन के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति० जिला कलेक्टर, पाली

लिए उपलब्ध रहती है। जहां तक अप्रार्थी के भूमिहीन नहीं होने का प्रश्न है, तो प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि वक्त नियमितिकरण अप्रार्थीगण के पिता भैरा भूमिहीन नहीं हो एवं नियमितिकरण की पात्रता नहीं रखते हो। इस कारण साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण का यह भी कथन रहा कि जैर प्रार्थना पत्र वादस्थ भूमि नाकाबिल काश्त है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण की ओर से जैर प्रार्थना पत्र वादस्थ भूमि की खसरा गिरदावरी की प्रतियां प्रस्तुत की, जिसमें जैर प्रार्थना पत्र वादस्थ भूमि पर अप्रार्थीगण की काश्त दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि मौके पर पहाडी के रूप में अवस्थित नहीं होकर काबिल काश्त भूमि के रूप में स्थित है। उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट होता है कि भूमि यदि काबिज काश्त है या काबिल काश्त की जा सकती है, तो वह आवंटन के लिए उपलब्ध रहती है। आर0आर0डी0 1986 पेज 137 में माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार खातेदारी अधिकार मिलने पर आवंटी को वे सभी अधिकार प्राप्त हो जाते है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा उसे प्रदत्त किये गये है, जिसमें एक अधिकार यह भी है कि किसी भी खातेदार कृषक को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी भी रूप में बेदखल नही किया जा सकेगा। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 948/1986 पतराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 31.08. 1995 को पारित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि "The khatedari rights conferred upen the tenant can be withdrawn only in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenancy Act. 1955, and the Collector has no power under rult 14(4) of the Act to cancel the allotment made in favour of the petitioners eith respect to the land in which the khatedari right have already ben conferred upon them because after theconferment of the Khatedari right, the applicability of the rules come an end, The power under sub Rule (4) of Rule 14 of the Rules.1970 can be exercised by the Collector before conferment of the Khatedari rights and after the conferment of the khatedari rights.the petitioners acwuired all the rights for which they are entitled under the Rajasthan Tenancy Act and there after the provisions og Sub-rule (4) of rule 14 of the Rules, 190 has no application." आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1430 में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि "विवादित आवंटन लगभग 40 वर्ष पुराना है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय ए.आई.आर. 1994 पेज 1128 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई आवंटन अनियमित भी हुआ हो तो भी इतनी लम्बी अवधि के आवंटन को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड (Travesty of Justice) है। यह मामला बहुत पुराना है एवं इतने पुराने मामले में 40 वर्ष बाद खातेदार काश्तकार से अधिक भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये बिना वापस लेने का निर्णय बहुत कठोर निर्णय होगा। यह न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता हैं, क्योंकि इस प्रकरण में भी नियमन

अति० जिला कलेक्टर, पाली

के लगभग 38 वर्ष पश्चात नियमन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसके अतिरिक्त इतनी लम्बी अवधि पश्चात नियमितिकरण को निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी दर्शित नही किया गया है। हालांकि हस्तगत प्रकरण में वक्त नियमन भूमि कि किस्म गै0मु0 भाकर थी, जो काबिल काश्त होने के कारण आवंटन नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियमन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 20 (परन्तुक) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। इस निर्णय की प्रतिलिपी तहसीलदार रायपुर को भिजवाई जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 7/8/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली